# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर 

(जिला- गोरंखपुर, उ०प्र०)
संख्यांक/निरीक्षण//1/36-37/2015-96 तारीख

.

प्रबन्धक,
जे०सी० इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल
ग्रायत्रीनगर कूड़ाघाट गोरखपुर
विषय- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

## महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.08 .2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राजात/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै जे०सी० इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल ग्रायत्रीनगर कूड़ाघाट गोरखपुर को तारीख 01.07 .2015 से तारीख 30.06 .2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जू०हा०स्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाये तथा एक से आठ तक की कक्षाओं) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :-
1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2-विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निश्रुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधो का पालन करेगा। 3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलख्य कराएगा।
4 -पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5-सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6 -विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्षासित नहीं किया जाएगा।
(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।
(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
(vii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा। 8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।
$>$ विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 27448 वर्गफीट
$>$ कुल निर्मित क्षेत्र - 8223 वर्गफीट
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - 19245 वर्गफीट उपलब्य है।
$>$ कक्षाओं की संख्या -10 उपलब्ध है।
$>$ प्राध्यापक-सह- कार्यालय-सह- भंडागार के लिए कक्ष- उपलब्ध है।
$>$ बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - उपलब्ध है।
$>$ पेयजल सुविधा - उपलब्ध है
$>$ मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई- उपलब्ध
$>$ वाधारहित पहुँच - उपलब्य है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है। 9 -विद्यालय की कक्षाओं के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैस-मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जाएगी।
10-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
11-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है।
12-विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
13-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड C-201/2015 है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का प्रयोग करे। 14-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुधित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता


है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सत्त अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।.
15-सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
16-शिक्षकों/कर्मधारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू०हा०स्कूल) (अध्यापाकों की भर्ती और सेवा कीज्झर्तं) नियूमाँवली 1978 में विहित प्रकिया अपनायी जायेगी।
17-जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
18-मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण-पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाऐं संचालित पाये जानें-पर मान्यता प्रमाण-पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

पृ०सं०-संख्याक/निरीक्षण/
भवदीय

## प्रतिलिपि- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

# जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर 

$\qquad$

सेवामें,
'जिला बेसिक शिक्षा आधिकरो गोरेझ्युर

विषय - जे०सी० हएरेेशनल पाबलिक स्कूल गयती नगर तहा गोरखल्य अंगेजीमाध्यम कक्षा LKG षें 8 th 153 al स्थार्यो करने के सम्ब ्ध में।
महीदिये
सविनय निवदेन है जो० ही० इण्टनेशानल पाधिने नगर कड़ाध लोररण न तोणी महयम की सं 3 समूजी माध्यम कक्षा LKG से 8+h संचालित है जिसके आपने कायोलय पबांक/11013 111362015.16 दिनों, $31 / 12 / 2015$ डारा तीन वर्ष की अबलि के प्रदान किया गया हा जिस्सकी अवधि पूर्ण हो ल्यकी है अतः क्रीमान जी से निवदेन है कि उत मान्यता से।
सलघन
1- ड्रहल की कापी
1- इ्रू की कापी पैर
2-मान्यता की कापी
ए. स्थियी करने की क्रा करें।



प्रेषक,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर.

सेवा में,
जे0 सी० इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल,
गायत्री नगर, कूड़ाघाट,
जनपद - गोरखपुर
पत्रांक : बे०शि 0 प०/आख्या/\&/8-18/2018-19
दिनांक : 25/06/2018

विषय : जे० सी० इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, गायत्री नगर, कूड़ाघाट, गोरखपुर के सम्बन्ध में आख्या प्रेषण।

महोदय,
आपके आदेश पत्रांक : मेमो/2015-16 दिनांक $31 / 12 / 2015$ के अनुपालन में सादर अवगत कराना है की जे0 सी० इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, गायत्री नगर, कूड़ाघाट, गोरखपुर को पत्रांक 11136-37/ 2015 16 दिनांक $31 / 12 / 2015$ द्वारा अस्थायी 'ब' श्रेणी की मान्यता प्रदान की गई है । शासनादेश संख्या 418/79-6-2013-18 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 के द्वारा वर्णित है की कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं आता है तो तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात यह मान लिया जाएगा की विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है, के आलोक में जे० सी० इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, गायत्री नगर, कूड़ाघाट, गोरखपुर वर्तमान में ठीक प्रकार से संचालित हो रहा है। अतः उपरोक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई है ।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला बेसिक शिक्षोर्र अपर्यारी गोरखपुर.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य जे० सी० इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, गोरखपुर
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुऱ
